

तारीख	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग (डीग)	नम्बर व तारीख
हस्ताक्षर	पटवारी, पटवार मंडल, <del>कठेरवाय</del> बनाम राजस्थान सरकार	अहकाम जो इस
हुकूम संख्या: - 27/25	हुकूम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुकूम की तामील
किस्म प्रार्थना पत्र: - अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट 1956	GCMS No- 2025/304	में जारी हुए

तारीख हुकूम	हुकूम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख
		अहकाम जो इस
		हुकूम की तामील
		में जारी हुए.

26.11.2025 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पटवारी, पटवार मंडल ~~कठेरवाय~~ द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। आवेदन पत्र के साथ भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.04.2025 की प्रति पेश की गई। तहसीलदार (भूअ.) डीग की रिपोर्ट क्रमांक ~~126/2025/3367~~ डि: 26.11.25 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पटवारी, पटवार मंडल ~~कठेरवाय~~ के निवेदन पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार ~~डीग~~ की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा पटवारी, पटवार मंडल ~~कठेरवाय~~ ने मौखिक निवेदन किया है कि बाकें ग्राम ~~जायलीकरीम~~ स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2076-79 के खाता संख्या ~~101~~ खसरा नं० ~~126/0-17~~ के काश्तकार ~~रेखा पुत्री हजिमिद~~ हिस्सा .. जाति ~~जाट~~ निवासी ~~जायलीकरीम~~ खातेदार राहिन हिस्सा ~~शुग~~ बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ~~कौर~~ के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा ~~कौर~~ दुरुस्त किया जावे। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप तथा तहसीलदार ~~डीग~~ की स्पष्ट अगिशांवा के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।

**आदेश**

अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत 136 एल0आर0एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया बाकें ग्राम ~~जायलीकरीम~~ स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2076-79 के खाता संख्या ~~101~~ खसरा नं० ~~126/0-17~~ के काश्तकार ~~रेखा पुत्री हजिमिद~~ हिस्सा ~~शुग~~ जाति ~~जाट~~ निवासी ~~जायलीकरीम~~ खातेदार राहिन हिस्सा ~~शुग~~ बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ~~कौर~~ के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा ~~कौर~~ दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार ~~डीग~~ को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी हो। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ~~26.11.2025~~ को न्यायालय हाजा में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी  
डीग (जिला डीग)